जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्रीमती अंगुर बाला पत्नि श्री सुनिल कुमार जैन, प्रतावित खनन परियोजना (सेण्ड स्टोन) के खनन की क्लस्टर (एरिया 29.21277 हैक्टेयर) मय खनन परियोजना का एम. एल. नम्बर 03/20214, खसरा संख्या 1098/234, 235, 1091/232 एवं संचालित खनन् क्षेत्र 04.00945 हैक्टेयर एवं प्रस्तावित खनन क्षेत्र 0.9191 हैक्टेयर, संचालित खनन क्षमता– 79158 टन प्रतिवर्ष से 258481 टन प्रतिवर्ष (रोम) बढ़ाने हेतु ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा एवं जिला–बून्दी (राजस्थान), में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे, पंचायत भवन डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण निम्नानुसार है :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, बून्दी के पत्र कमांक 185 दिनांक 25.10.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-97/1393–1399 दिनांक 06.11.2024 की अनुपालना में **मैसर्स श्रीमती अंगुर बाला पत्नि श्री सुनिल कुमार जैन**, द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना (सेण्ड् स्टोन) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का एम. एल. नम्बर 03/20214, खसरा संख्या 1098/234, 235, 1091/232 एवं संचालित खनन् क्षेत्र 04.00945 हैक्टेयर एवं प्रस्तावित खनन क्षेत्र 0.9191 हैक्टेयर, ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा एवं जिला–बून्दी (राजस्थान) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे, पंचायत भवन डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर सलंग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र **दैनिक भास्कर समाचार** पत्र में दिनांक 08 **नवम्बर**, 2024 एवं **दैनिक अंगद** समाचार पत्र में दिनांक 07 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित करवाई गई जो की परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न हैं।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रतावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बावत आमंत्रित किया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार कॉग्निजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की तकनीकी सलाहकार कायनात आजम के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, बून्दी की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से सम्बन्धित कोई आपत्ति होने के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया तथा कोई भी अतिरिक्त सुझाव या शिकायत प्राप्त ना होने पर अन्त में श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा की आज्ञा से पर्यावरणीय लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

लक्ष्मीकान्त
उपखण्ड़ अधिकारी,
तालेड़ा, जिला बून्दी(राज.)

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.मं. बून्दी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्रीमती अंगुर बाला पत्नि श्री सुनिल कुमार जैन खसरा संख्या 1098/234, 235, 1091/232 क्षेत्रफल – (संचालित 04.00945 हैक्टेयर एवं प्रस्तावित 0.9191 हैक्टेयर), उत्पादन क्षमता – (संचालित 79158 टी.पी.ए. एवं प्रस्तावित 258481 टी.पी.ए. रोम), निकट ग्राम – डाबी, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी की प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 29.21277 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– पंचायत भवन डाबी, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी

दिनांक :– 10.12.2024

समय :– प्रातः – 11:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Laxmi Kant (RAS.P) SDM TALERA	[signature]
2.	Sanita, RO, RSPCB, Bundi	Sanita
3.	Rohitash Balai, AEE, RSPCB, Bundi	[signature]
4.		
5.		
6.	Kaynat Aazam, CRIPL, Udaipur	[signature]
7.	Radhegovind Sharm Lambakhoh	[signature]
8.	Durga Lal Prajapati Sutara.	[signature]
9.	Chetanmehta Bhagwatpura	[signature]
10.	रमेशचन्द सुतड़ा	रमेशचन्द
11.	सुनिलकुमार S/o मोहनलाल जी पेम डाबी बूंदी डाबी	सुनिल
12	जगदीशप्रसादसोनी गाव डाबी	जगदीश
13.	शान्तीलाल सेन डाबी	शान्तीलाल

	नाम व पता	हस्ताक्षर
	प्रकाश चन्द राठौर अध्य. पं. स. डावी छिन्दुदी	[signature]
	टाईगर लाल डाबी	
16	सुरेश बैरागी लाम्बाखोह	टाईगर लाल
17	मदन लाल कुमावत चबेश्वर	[signature]
18	प्रकाश मेहता सुतड़ा	[signature]
19	रामकुंवार डाबी	प्रकाश
20	अशोक कुमार भोपतपुरा	रामकुंवार
21	गोकुललाल जाट लाम्बाखो	[signature]
22	रणजीत बंजारा कधाला	गोकुल जाट
23	सीताराम शर्मा लाम्बाखोह	रणजीत
24	बजरंग लाल कुमावत बड़ी गजयास	सीताराम
25	रमेश लाम्बाखोह	बजरंग लाल
26	मुकेश धाकड़ श्रीनगर	रमेश
27	कैलाश भट्ट डाबी	मुकेश
28	बबलु गुर्जर	कैलाश
29	मुरली मनोहर सेन लाम्बाखोह	[signature]
30	पारस कुमार जैन - गनेशपुरा	[signature]
31	अशोक कुमार जैन लाम्बाखोह	[signature]
32	पंकज कुमार जैन - डाबी	अशोक कुमार जैन
33	फुलसिंह डाबी	पंकज
		फुलसिंह

Scanned with OKEN Scanner

	नाम व पता	हस्ताक्षर
	चेतन कुमार डांगी	[illegible]
	संतोष जैन - लाम्बाखेड़ा	[illegible]
36	सुरेश खेरजी [illegible]	[illegible]
37	रघुवीर मेहता डांगी	[illegible]
38		[illegible]
39	कोमल कुमार शर्मा लाम्बाखेड़ा कमलेश कुमार डांगी	[illegible]
40		Kamal
41	Rmesh Kumar [illegible]	[illegible]
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		

Scanned with OKEN Scanner

के सामने वाली अतिव्यस्त
पर अतिक्रमण कर लगी
कर पैदल नागरिकों को
न अब फिर से फुटपाथ
शुरू हो गई है।

फोटो - सुधीन्द्र गौड़

...धरी ने बताया कि ...डीए का कनक घाटी आमेर रोड से जयगढ़-नाहरगढ़ वाया जंक्शन तक सड़क नवीनीकरण काम प्रगति पर है।

यह काम सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक होकर 15 नवंबर तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान नाहरगढ़ दुर्ग की तरफ ट्रैफिक पर्यटकों के लिए बाधित रहेगा।

...समाज के जिलाध्यक्ष ...लेकर बैठक सम्पन्न

...ाध्यक्ष गणेश मारू द्वारा ...य चुनाव अधिकारी के ...नयन को लेकर प्रस्ताव ...। जिसमें जिला स्तरीय ...ति चुनाव ने सर्व सम्मति से ...य लेकर रामप्रकाश सविता ...मुख्य चुनाव अधिकारी तथा ...चन्द धारवाल को सह- ...व अधिकारी मनोनीत ...। साथ ही समिति के ...यों ने सदस्यता अभियान ...अवधि 5 नवम्बर से बढ़ाकर ...नवम्बर करने का भी निर्णय पारित किया। बैठक में चुनाव समिति का अध्यक्ष जगदीश सैन छपावदा, कोषाध्यक्ष रामलाल सैन देवपुरा को बनाया गया तथा सलाहकार समिति में नाथूलाल सैन आंतरदा, रघुराज सैन अलोद, सूरज सैन गेण्डोली, नरेश सैन सीतापुरा, सुनील सैन के.पाटन को सदस्य मनोनीत किया गया। यह समिति चुनाव सम्पन्न करवाने में सहयोग प्रदान करेगी। यह जानकारी राजेन्द्र कुमार सैन ने दी।

...का 75वां स्थापना दिवस मनाया

...बेसेंट पंडित जवाहरलाल ...के प्रयासों से 1919 में ...त में इसे बालचर सेवा ... बॉयज स्काउट संगठन ... हिंदुस्तान स्काउट संगठन ...गाइड ने इंडिया के नाम से ...जाते हैं। 7 नवंबर 1950 को ... में स्काउट गाइड स्टाफ

... गया। तीन उंगलियां व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं अन्य लोगों और गर्ल्स स्काउट कानून का प्रतिनिधित्व करती है। तीन प्रतिज्ञाएं व नो नियमों के अधीन स्काउट गाइड का कार्य करना चाहिए। स्काउट गाइड का मूल सामाजिक मानवीव ,पशु पक्षी सेवा है। इससे छात्रों में सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। वर्तमान समय में स्काउट गाइड 176 देश में फैला एक वर्दीधारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 36 मिलियन है।

...किया : शराब की लत ...बंद कर लगाया फंदा

...ा गाड़ी चलाता है। वो ...र शराब पीता था। बुधवार ...-9 बजे करीब घर आया ...उस समय उसकी पत्नी ...ा खाना बना रही थी। हम ...पति पत्नी पहली मंजिल ...ो रहे थे। रात 11 बजे ...5 साल की पोती रोते रोते देखने गई। बेटा बाथरूम में था। जबकि अनिता के कमरे का अंदर से गेट लगा हुआ था। जैसे तैसे गेट खोला तो अनिता फांसी पर लटकी हुई मिली। शराब पीने की आदत को लेकर अनिता व धीरेंद्र में अक्सर कहासुनी होती थी। शराब छोड़ने

बून्दी, 7 नवंबर। आबकारी विभाग के सभी बकायादारों के हितो को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने पुरानी बाकयात को निपटाने के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 जारी की है। जिसके अन्तर्गत बकाया राशि जमा करवाये जाने पर ब्याज की शत प्रतिशत माफी के साथ-साथ मूल बकाया राशि पर भी छूट का प्रावधान है। यह योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी है।

जिला आबकारी अधिकारी बीएल मीणा ने बताया कि बून्दी जिले में भी बकाया के कुल 210 प्रकरणों में 53.89 करोड रूपये बकाया है। आबकारी एमनेस्टी योजना ... ने कुछ प्रकरणों में पूर्ण राशि/आंशिक राशि इस तरह कुल राशि 33.82 लाख रूपये जमा करवाकर योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि जिले के शेष बकायादारो में से अधिकांश बकायादारो की चल अचल सम्पत्ति (जमीन, वाहन, बैंक खाते) को ट्रेस किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश सम्पत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। यदि बकायादार इस योजना के अन्तर्गत राशि जमा नही करवाने पर उनकी चल-अचल सम्पत्तियों की भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले ... अपनी बकाया राशि जमा करवाते है तो इस योजना में 31 मार्च 2018 से पूर्व के बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर 75 प्रतिशत छूट एवं ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर 50 प्रतिशत छूट एवं ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसलिए सभी बकायादार इस योजना के अन्तर्गत बकाया राशि जमा करवाकर अनावश्यक कानूनी पेचिदिगियों से बच सकते है।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO Bundi/PUB-97/1393 Date : 06.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन, खसरा नम्बर 1098/234, 235, 1091/232, निकट ग्राम सूतडा, तहसील तालेडा, जिला बूंदी द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सैंड स्टोन माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-29.21277 हेक्टर, आवेदक अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 5.01377 (वर्तमान 4.00945+प्रस्तावित 0.9191 हेक्टर) हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 258481 टीपीए जो कि खसरा नम्बर 1098/234, 235, 1091/232 निकट ग्राम सूतड़ा, तहसील तालेडा, जिला बूंदी में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, बून्दी। 2. CEO जिला परिषद, बून्दी। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, [illegible] संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। 5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, बून्दी। 6. उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बूंदी। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, बूंदी। 8. ग्राम पंचायत, डाबी। 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बूंदी। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 25.10.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत भवन, डाबी, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बूंदी में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सचिव
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी

(राजस्थान सरकार)
कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बून्दी
राष्ट्रीय राजमार्ग 52, तालाब गांव-323001 जिला बून्दी (राज.) E-mail ID: gmcbundi@gmail.com
दिनांक: 06.11.2024
क्रमांक: स्थापना/2024/1318

-:: विज्ञप्ति ::-

उप निदेशक (प्रशा.) राजमेस जयपुर के पत्रांक F-1(1) RajMES/Estt./N.G/Paramedical/Bharatpur/(00458)/3358 दिनांक 19.07.2024 एवं निदेशक राजमेस जयपुर के पत्रांक 3153 दिनांक 05.07.2024 के क्रम में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तालाबगांव, बून्दी में कार्यालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्नांकित स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन कार्मिक विभाग के निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 07/11/2024 से 19/11/2024 तक आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता	रिक्त पद
01	एक्जीक्यूट असिसटेन्ट-II (स्टोर कीपर/रिकोर्ड क्लर्क)	मंत्रालयिक सेवा से सेवानिवृत कार्मिक	06
02	एक्जीक्यूट असिसटेन्ट-II (...वेरीफायर/स्टोर कीपर कम क्लर्क)	मंत्रालयिक सेवा से सेवानिवृत कार्मिक	01
	[illegible]	मंत्रालयिक सेवा से सेवानिवृत कार्मिक	10
		[illegible]	05
		[illegible]	10

Scanned with OKEN Scanner

गई, जिनका समाधान करवाया गया।

विस्तार के लिए भूमि आवंटन, राशनकार्ड से नाम हटवाने, जल कनेक्शन कराने, मुक्तिधाम की चारदीवारी व टिनशेड लगाने के प्रकरण प्राप्त हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शनसिंह तोमर, उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, ट्रेजरी अधिकारी अंजनीकुमार शर्मा, तहसीलदार कमलेशकुमार मीणा, बीडीओ पीयूष गोयल, ग्राम पंचायत के सरपंच राधेश्याम गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी श्रवण मंडा, सहायक सचिव सज्जन सिंह शामिल रहे।

बयान में अनियमितता और फार्मासिस्ट के अनुपस्थित पाए जाने पर फर्मों पर कार्रवाई की है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कोटा जिले में 6 फर्मों और बूंदी में 2 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए है। कोटा में 2 और बूंदी में 1 लाइसेंस निरस्त भी किया है। कोटा शहर में महावीर नगर कॉलोनी की माही मेडिकोज का 21 दिन, सीमल्या का शिव मेडिकल, पता मेन शॉप नं. 2, सामुदायिक भवन, कोटा-बारां मेन रोड, सीमल्या, 18 दिवस, मैसर्स बालाजी मेडिकल, पता मेन कैथून रोड, रायपुरा, कोटा 10 दिवस, मैसर्स जसमीत मेडिकल स्टोर शॉप नं. 5, फतेहपुर चौराहा-फतेहपुर, तहसील रामगंजमंडी 15 दिन, मैसर्स राजा मेडिकोज, कोटा-बारां मेन रोड, पुलिस लाइन, गोपाल विहार, कोटा 15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किए गए। मैसर्स श्रीश्याम फार्मा, पता शॉप नं. 4, रिद्धि-सिद्धि नगर, रंगपुर रोड, भदाना-कोटा पर की गई जांच के दौरान एविल औषधियों का अवैध व्यवसाय पाया गया। इस फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

मीणा समाज की अपील, कोई वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करे

भास्कर न्यूज | बूंदी

अखिल भारतीय मीणा समाज विकास समिति की ओर से अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा को शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड में शामिल हथियारों के केस की अदालत में पैरवी नहीं करने के लिए ज्ञापन दिया है।

इसमें बताया कि 4 नवंबर को शहर के मुख्य चौराहे पर बेकसूर शिक्षक मनीष मीणा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरे शहर में दहशत व्याप्त है। पुलिस आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी। इन अपराधियों की ओर से पहले भी इस तरह की हत्या करने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

मीणा समाज अभिभाषक परिषद से अनुरोध करता है कि अभिभाषक परिषद की ओर से ऐसे आरोपियों की अदालत में पैरवी नहीं की जाए। इससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अभिभाषक परिषद ने हत्याकांड की घोरनिंदाकी है।

...जी से प्रेरित होकर 42 व्यक्तियों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली

...ा के आगमन पर धार्मिक कार्यक्रम हुए

...में शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से धार्मिक कार्यक्रम किया।

...में अखंड ज्योति कलशयात्रा का आगमन हुआ।

कार्यक्रम में इनकी भागीदारी रही

संभागीय समन्वयक रामरतन नरवर, बूंदी जिला सहायक प्रभारी पवन अग्रवाल, महिला मंडल गायत्री संयोजक ऊषा शर्मा, तहसील प्रभारी मदनलाल वर्मा, रेखा मीणा, मनमोहन अजमेरा, सूर्य मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष शिवजीराम मीणा, उपाध्यक्ष गोपाल मीणा, भंवरलाल मीणा, मूर्तिकार मूलचंद वर्मा, मेम्बर भूरी बाई, जगदीश सेन, गोरधनसिंह सोलंकी, हरिसिंह सोलंकी, पिंकू पाराशर, श्याम पाराशर, गिरिराज सैनी, टीकम सैनी, जोधराज वर्मा, रामगोपाल मीणा, रामकिशन गौड़, प्रभात मीणा, लादूलाल मीणा, जहाजपुर गायत्री शक्तिपीठ से दिनेश उपाध्याय शामिल हुए। विजयगढ़ के पूर्व सरपंच कमलेश मीणा, रमेश मीणा, बाबूलाल, राधेश्याम जोगी, कजोड़ तंवर, भील समाज जिलाध्यक्ष सरपंच मांगीलाल भील, बृजसुंदर शर्मा, रामपाल टेलर शामिल रहे। किशन कहार व नशामुक्ति प्रेरक राजेंद्रसिंह भाटी ने संदेश दिया। वरिष्ठ परिजन लोकेशनारायण शर्मा ने गुरुमहिमा पर संगीत के माध्यम से प्रकाश डाला। रोडूलाल वर्मा ने आभार जताया।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden,
New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO Bundi/PUB-97/1393 Date: 06.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- मैसर्स अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन, खसरा नम्बर 1098/234, 235, 1091/232, निकट ग्राम सूतडा, तहसील तालेरा, जिला बूंदी द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सैंड स्टोन माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 29.21277 हेक्टर, आवेदक अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 5.01377 (वर्तमान 4.00945+प्रस्तावित 0.9191 हेक्टर) हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 258481 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 1098/234, 235, 1091/232, निकट ग्राम सूतडा, तहसील तालेरा, जिला बूंदी में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है। 2. और चूंकि अंगूर बाला पत्नी सुनील कुमार जैन, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3.उक्त परियोजना से सम्बधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है. - i.जिला कलक्टर, बूंदी । ii. CEO जिला परिषद बूंदी । iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, बूंदी। vi. उपखण्ड अधिकारी तालेरा, जिला बूंदी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, बूंदी। viii. ग्राम पंचायत, डाबी । ix. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेरा, जिला बूंदी X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 25.10.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- ग्राम पंचायत भवन, डाबी, ग्राम डाबी, तहसील तालेरा, जिला बूंदी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी